न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2022/52

सिविल प्रकरण संख्याः– 08/2022 तारीख रजू 28.03.2022

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, केन्द्रीय दल कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर राजस्थान।

..........आवेदक

बनाम

1. महिपाल सिंह पुत्र स्व0 श्री भवानी सिंह, प्रोपराईटर मैसर्स होटल नाहरगढ, ग्राम खिलचीपुर, रणथम्भौर, सवाई माधोपुर –322001
2. गज सिंह, निदेशक, मैसर्स होटल नाहरगढ, ग्राम खिलचीपुर, रणथम्भौर, सवाई माधोपुर –322001
3. मंजू सिंह, निदेशक, मैसर्स होटल नाहरगढ, ग्राम खिलचीपुर, रणथम्भौर, सवाई माधोपुर –322001
4. मैसर्स होटल नाहरगढ, ग्राम खिलचीपुर, रणथम्भौर, सवाई माधोपुर –322001
5. नरेन्द्र कुमार जैन, प्रोपराईटर, मैसर्स दीपक एन्टरप्राईजेज, रणथम्भौर रोड, सवाई माधोपुर–322001
6. अपूर्व अग्रवाल, प्रोपराईटर, मैसर्स अग्रवाल पापड उद्योग, शॉप न. 515, गणगोरी बाजार, जयपुर–302001
7. अभिषेक जैन, पार्टनर, मैसर्स आर.एस. फूड, खपरा न. 902/290, ग्राम–शालीमार, गली नं. 4, न्यू दिल्ली, दिल्ली–110023
8. राजेश जैन, पार्टनर, मैसर्स आर.एस. फूड, खपरा न. 902/290, ग्राम–शालीमार, गली नं. 4, न्यू दिल्ली, दिल्ली–110023
9. मैसर्स आर.एस. फूड, खपरा न. 902/290, ग्राम–शालीमार, गली नं. 4, न्यू दिल्ली, दिल्ली–110023

.........अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26(2)(ii)/52 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 18.11.2025**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें राजस्थान, जयपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा (आवेदक) द्वारा अन्तर्गत धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि आवेदक दिनांक 04.03.2021 को समय 2.30 पी.एम. पर मैसर्स होटल नाहरगढ, ग्राम खिलचीपुर, रणथम्भौर, सवाई माधोपुर पर पहुँचा व अपना परिचय दिया। इस संस्थान पर खाद्य कारोबारकर्ता महिपाल सिंह पुत्र स्व. श्री भवानी सिंह उपस्थित मिले। आवेदक (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) द्वारा उक्त संस्थान का निरीक्षण करने पर संस्थान में खाद्य पदार्थ Soyabean Oil, Salad Oil (Sailor's) आम जनता को विक्रय हेतु 15 बोतल (प्रत्येक [illegible] एमएल) रखे हुए थे जिसके अमानक/मिसब्राण्डेड होने का शक होने [illegible] पदार्थ Soyabean Oil, Salad Oil (Sailor's) वास्ते नमूना जांच [illegible] के तहत [illegible] हेतु खरीदने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:10 IST
Reason: SelfAttested

लिए गवाहान के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर दिया विक्रय मूल्य 400/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता व गवाहान के समक्ष खरीदशुदा खाद्य पदार्थ Soyabean Oil, Salad Oil (Sailor's) के प्रत्येक बोतल पर आवेदक ने लेबल तैयार कर लेबल चिपकाये जिस पर डी.ओ. के कोड व सीरियल नम्बर **H-2036** अंकित कर गवाह एवं खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार खाकी कागज में लपेटकर उस पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप नमूना कोड एवं क्रमांक **H-2036** नीचे से उपर तक नियमानुसार गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार मोटे मजबूत धागे से बांधकर धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एवं चारो नमूनों पर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारो नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में लिया। समस्त कार्यवाही की मौका फर्द मौके पर तैयार की जिसे पढकर, पढाकर, समझाकर व सही मानकर होश हवास में आवेदक ने, गवाह व भागीदार ने हस्ताक्षर किये। कार्यालय पहुँच कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नम्बर 6 की प्रतियॉ तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जयपुर का पता अंकित किया गया एवं जिस सील से नमूना सील्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनों को पुनः आउटर कवर में लपेट कर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी से सील्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में रखकर सील चपडी से सील्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जयपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सील्ड नमूना एवं सील्ड लिफाफा अगले कार्य दिवस को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की। नमूने के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ भाग अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर को अगले कार्य दिवस को जमा करा रसीद प्राप्त की।

विक्रेता द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ मौके पर मैसर्स दीपक एन्टरप्राईजेज से खरीदा होना बताया एवं खरीद बिल छायाप्रति प्रस्तुत की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 26.08.2021 को मैसर्स दीपक एन्टरप्राईजेज को फर्म की सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा जिसके प्रतिउत्तर में मैसर्स दीपक एन्टरप्राईजेज ने फर्म की सूचना उपलब्ध कराते हुए यह खाद्य पदार्थ मैसर्स अग्रवाल पापड उद्योग से खरीदा होना बताया एवं खरीद बिल की छायाप्रति प्रस्तुत की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 30.09.2021 को मैसर्स अग्रवाल पापड उद्योग को फर्म की सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा जिसके प्रतिउत्तर में मैसर्स अग्रवाल पापड उद्योग ने फर्म की सूचना उपलब्ध कराते हुए यह खाद्य पदार्थ मैसर्स आर.एस. फूडस से खरीदा होना बताया एवं खरीद बिल की छायाप्रति प्रस्तुत की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 30.11.2021, 21.12.2021, 19.01.2022 को मैसर्स आर.एस. फूडस को फर्म की सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखा जिसके प्रतिउत्तर में मैसर्स आर.एस. फूडस ने फर्म की सूचना उपलब्ध कराई। मैसर्स आर.एस. फूडस [illegible] आगामी खरीद बिल की सूचना नहीं भिजवाई गई जिसके लिए अंतिम अवसर देते हुए पत्र दिनांक 8.2.20[illegible] आगामी खरीद बिल की सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया। आगामी खरीद बिल की सूचना नहीं [illegible] मैसर्स आर.एस. फूडस को खाद्य पदार्थ Soyabean Oil, Salad Oil (Sailor's) का नि[illegible] एवं विपणनकर्ता माना

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:10 IST
Reason: SelfAttested

गया। मैसर्स आर.एस.फूडस के खाद्य अनुज्ञा पत्र से सम्बन्धित सूचना एफएसएसआई के पोर्टल FOSCOS से प्राप्त की। अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक 656 दिनांक 25.03.2021 के साथ संलग्न जांच मूल रिपोर्ट एल.एस./337/एक्ट/2021/432 दिनांक 18.03.2021 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Soyabean Oil, Salad Oil (Sailor's) का नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया जो अन्तर्गत धारा 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standard Act-2006 का उल्लंघन है जोकि एफ.एस.एस. एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन है जिसका जुर्माना एफ.एस.एस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वा. सेवायें राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार कर अभियुक्तगण के विरूद्व अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 1 लगायत 4 की ओर से श्री अभय कुमार गुप्ता एडवोकेट द्वारा, अभियुक्त संख्या 5 लगायत 6 की ओर से श्री रामस्वरूप साहू एडवोकेक्ट द्वारा एवं अभियुक्त संख्या 7 लगायत 9 की ओर से श्री श्याम सुन्दर गुप्ता एडवोकेट द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। वकील अभियुक्तगण द्वारा प्रकरण में जबाव पेश किया गया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ Soyabean Oil, Salad Oil (Sailor's) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

वकील अभियुक्त संख्या 1 लगायत 4 ने जबाब में दिये गये तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त संख्या 1 लगायत 4 खाद्य पदार्थ Soyabean Oil, Salad Oil (Sailor's) का विक्रेता नहीं है। एफ.एस.एस.ए के प्रावधानों के विपरीत नमूना क्रय किये जाने की रसीद प्राप्त कर न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न किये गये है। नमूना संग्रहणकर्ता द्वारा स्वैच्छाचारी एवं मनमाने ढंग से एफ.एस.एस.ए. 2006 के प्रावधानों एवं नियम 2011 के विपरीत नमूनों को सील बन्द किया। नमूना संग्रहणकर्ता ने मौके पर मौजूद खाद्य कारोबारकर्ता को समस्त कार्यवाही की मौका फर्द व अन्य प्रपत्रो पर पढ़कर पढाकर समझाकर हस्ताक्षर नही करवाये ना ही खाद्य कारोबारकर्ता की उपस्थिति में किसी गवाह के हस्ताक्षर करवाये। मात्र विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति के तहत एफ.एस.एस.ए.2006 के प्रावधानों के विपरीत नमूना संग्रहण कर विश्लेषण प्रयोगशाला को भेजा। नमूना संग्रहणकर्ता द्वारा एफ.एस. एक्ट 2006 नियम 2011 के विधिक प्रावधानो के विपरीत खाद्य पदार्थ Soyabean Oil, Salad Oil (Sailor's) का नमूना लिये जाने तथा उसके पश्चात् संग्रहणकर्ता के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत उचित अवस्था में भण्डारण नही करने अथवा नमूना राजकीय विश्लेषण प्रयोगशाला में भिजवाये जाने के दौरान विपरीत परिस्थितियों [illegible] जाने के कारण अमानक घोषित हुआ है। जिसके लिये अभियुक्त संख्या [illegible] दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अभियुक्त सं 1 लगायत 4 ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2[illegible] की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:10 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

धारा 26 (ii) का कोई उल्लंघन नहीं किया है। नमूना संग्रहणकर्ता के द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किये बगैर ही दैनिक दिनचर्या में न्याया निर्णयन स्वीकृति आदेश जारी किये है। अभियुक्तगण के विरूद्ध दस्तावेजी साक्ष्य से किसी प्रकार को कोई खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित नहीं है। अभियुक्तगण के विरूद्ध न्याय निर्णयन आवेदन खारीज किये जाने योग्य है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं नमूना संग्रहणकर्ता ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के प्रावधानों के विपरीत खाद्य पदार्थ Soyabean Oil, Salad Oil (Sailor's) संकलित एवं संग्रहित कर विशेषण प्रयोगशाला को भिजवाया जिसके चलते ही मानक स्तर श्रेणी के खाद्य पदार्थ को अमानक एवं घोषित किया गया है। जिसके लिए अभियुक्तगण को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अभियुक्त संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा खाद्य पदार्थ Soyabean Oil, Salad Oil (Sailor's) अभियुक्त संख्या 5 से शील्ड अवस्था में क्रय इनवाईस से क्रय किया था। खाद्य पदार्थ के निर्माता एवं निर्माता कम्पनी अभियुक्त संख्या 7 लगायत 8 के द्वारा उनको Medical Health and family welfare Department द्वारा उनके पक्ष में जारी लाईसेंस की शर्तों एवं नियमों के तहत खाद्य पदार्थ का निर्माण एवं विपणन किया जाता है तथा अभियुक्त संख्या 1 लगायत 4 जो कि सदभावी खाद्य कारोबार करता है Medical Health and family welfare Department Food Licence धारक होने से खाद्य पदार्थ का क्रय विक्रय व उपयोग उपभोग करने के लिए अधिकृत है। प्रार्थी अभियुक्त द्वारा एफ.एस.एक्ट. 2006 एवं नियम 2011 के प्रावधानों का कोई उल्लंघन अथवा अपराध कारित नही किया गया है। इस कारण प्रार्थी को प्रकरण में दोष मुक्त किया जाना न्यायहित में उचित एवं आवश्यक है। अतः अभियुक्त संख्या 1 लगायत 4 के विरूद्ध पेश परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।

वकील अभियुक्त संख्या 5 लगायत 6 ने जबाब में दिये गये तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि परिवादी द्वारा यह मुकदमा हम अभियुक्तगणों के खिलाफ बिल्कुल मिथ्या एवं निराधार बनाया है जिसकी कोई सत्यता नही है। हम परिवाद पत्र मे वर्णित आरोप से इंकार कर अंवीक्षा चाहते हैं। इस परिवाद पत्र में दर्ज खाद्य पदार्थ सोयाबीन ऑयल एवं सलाद आयल को अभियुक्त नम्बर 5 द्वारा अभियुक्त नम्बर 6 से जरिये बिल संख्या 228 दिनांक 17-02-2021 से खरीद किया गया था तथा अभियुक्त नम्बर 6 ने इस खाद्य पदार्थ को अभियुक्त संख्या 9 फर्म से जरिये बिल संख्या 446 दिनांक 15-02-2021 को खरीद किया गया था इस प्रकार हम अभियुक्तगण नम्बर 5 व 6 द्वारा अभियुक्त संख्या 9 फर्म से खरीद किया गया है तथा जिस प्रकार खरीद किया गया है उसी प्रकार आगे बेचान किया गया है। इसमें अभियुक्त नम्बर 5 व 6 द्वारा किसी भी प्रकार से मिस ब्राण्डिंग नहीं की गई यदि कोई मिसब्राडिंग हो तो अभियुक्त संख्या 9 फर्म जिम्मेदार है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महोदय द्वारा जिस खाद्य पदार्थ सोयाबीन, ऑयल एवं सलाद ऑयल का अभियुक्त संख्या एक से नमूना लेना बताया गया है इसकी नमूना लेने की कार्यवाही ना तो मौके पर की गई ना ही नियमानुसार की गई तथा समस्त जाँच पर्दे मौके पर तैयार न कर अपने ऑफिस में बैठकर बिल्कुल मिथ्या एवं फर्जी तैयार की है। हम अभियुक्तगण संख्या 5 व 6 को [illegible] प्रयोगशाला में जाँच कराने हेतु भी कोई अवसर नहीं दिया गया है जो कि [illegible] अतः हम अभियुक्त संख्या 5 लगायत 6 को दोषमुक्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:10 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी

वकील अभियुक्त संख्या 7 लगायत 9 ने जबाब में दिये गये तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया कि परिवादी द्वारा यह मुकदमा हम अभियुक्तगणो के खिलाफ बिल्कुल मिथ्या एवं निराधार बनाया है जिसकी कोई सत्यता नही है। हम अभियुक्तगण संख्या 7 लगायत 9 इस परिवाद पत्र में वर्णित आरोप से इंकार कर अनविक्षा चाहते है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महोदय द्वारा जिस खाद्य पदार्थ सवायबीन ऑयल एवं सलाद ऑयल का अभियुक्त संख्या 1 से नमूना लेना बताया गया है उसकी नमूना लेने की कार्यवाही ना तो मौके पर की गई और ना ही नियमानुसार की गई तथा समस्त जांच फर्दे मौके पर तैयार न कर अपने ऑफिस में बैठकर बिल्कुल मिथ्या एवं फर्जी तैयार की है साथ ही निवेदन है कि बिना किसी उचित आधार व कारण के हम अभियुक्त संख्या 7 लगायत 9 को इस मिसब्रान्डेड बताये गये खाद्यपदार्थ का निर्माता एवं विपर्ण कर्ता माना गया है। हम अभियुक्त संख्या 7 लगायत 9 को नमुने की केन्द्रीय प्रयोगशाला से जांच करवाने हेतु भी कोई अवसर नही दिया तथा इस कानूनी अधिकार से उन्हे वंचित कर दिया जो कि कानूनन आवश्यक था । उक्त खाद्यपदार्थ का नमूना किसी भी प्रकार से मिसन्ब्रान्डेड नही रहा है तथा परिवाद पत्र में परिवादी द्वारा भी यह कतई वर्णित नही किया की वह किस कारण से मिसब्रान्डेड माना गया है। खाद्यपदार्थ की नमूना बोतलो पर समस्त आवश्यक छापे पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से लगी हुई है जो पूर्णतया वैध एवं उचित छापे है जो मिसब्रान्डेड की श्रेणी में कतई नही आती है। अतः हम अभियुक्त संख्या 7 लगायत 9 को दोषमुक्त फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एल.एस./337/एक्ट/2021/432 दिनांक 18.03.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ** Soyabean Oil, Salad Oil (Sailor's) मिसब्राण्डेड प्रकृति का होना पाया गया है। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार नमूने के लेबल पर न्यूट्रिशनल इन्फोर्मेशन दी हुई है लेकिन सेचूरेटेड फेड कान्टेन्ट एवं ट्रांसफेट कान्टेन्ट्स की मात्रा नमूने के लेबल पर अंकित नहीं की गई है जोकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) अधिनियम 2011 के रेगूलेशन नं0 2.2.2(3) के प्रोविजो (iii) का उल्लंघन है। वकील अभियुक्त संख्या 1 लगायत 4 का कथन कि अभियुक्त संख्या 1 लगायत 4 विक्रेता नहीं है। नमूना संग्रहणकर्ता ने मौके पर मौजूद खाद्य कारोबारकर्ता को समस्त कार्यवाही की मौका फर्द व अन्य प्रपत्रो पर पढ़कर पढाकर समझाकर हस्ताक्षर नही करवाये ना ही खाद्य कारोबारकर्ता की उपस्थिति में किसी गवाह के हस्ताक्षर करवाये, सही प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्त संख्या 1 ने अपनी संस्था के लेटर हेड पर हस्ताक्षर कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त नमूना जांच हेतु विक्रय किया है। अभियुक्त संख्या 1 के फार्म सं0 5ए पर हस्ताक्षर है तथा फार्म नं0 5ए की एक प्रति प्राप्त भी गई है एवं फर्द रिपोर्ट पर हस्ताक्षर है, जिस पर यह स्पष्ट अंकन है कि '' **उपरोक्त समस्त कार्यवाही रूबरू खाद्य** कारोबारकर्ता **एवं गवाहान को अवगत करते हुए मौके पर की गई और पढकर सुनाई गई तथा हस्ताक्षर करवाये**'' जिससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्त संख्या 1 के समक्ष खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न केवल समस्त कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित की गई है अपितु समस्त कार्यवाही के दौरान अभियुक्त संख्या 1 मौजूद रहे हैं। वकील अभियुक्त संख्या 5 लगायत 6 का कथन कि '' हम अभियुक्तगण संख्या 5 व 6 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:10 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नमूने की केन्द्रीय प्रयोगशाला में जाँच कराने हेतु भी कोई अवसर नहीं दिया गया है '' उचित नहीं है क्योंकि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अभिहित अधिकारी द्वारा दिनांक 25.03.2021 को अभियुक्त संख्या 1,4 एवं 5 को उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति भिजवाते हुए यह भी स्पष्ट किया गया कि '' यदि आप उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं है तो एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 46(4) के अन्तर्गत नमूने की रेफरल प्रयोगशाला में जांच कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 30 दिन तक निर्धारित फार्म नं. 08 में आवेदन कर सकते हैं। '' इसी प्रकार वकील अभियुक्त संख्या 7 लगायत 9 के कथन '' उक्त खाद्यपदार्थ का नमूना किसी भी प्रकार से मिसन्ब्रान्डेड नही रहा है तथा परिवाद पत्र में परिवादी द्वारा भी यह कतई वर्णित नही किया की वह किस कारण से मिसब्रान्डेड माना गया है। खाद्यपदार्थ की नमूना बोतलो पर समस्त आवश्यक छापे पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से लगी हुई है जो पूर्णतया वैध एवं उचित छापे है जो मिसब्रान्डेड की श्रेणी में कतई नही आती है। '' भी सही प्रतीत नहीं होते है। क्योंकि उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार नमूने के लेबल पर न्यूट्रिशनल इन्फोर्मेशन दी हुई है लेकिन सेचूरेटेड फेड कान्टेन्ट एवं ट्रांसफेट कान्टेन्ट्स की मात्रा नमूने के लेबल पर अंकित नहीं की गई है जोकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग) अधिनियम 2011 के रेगूलेशन नं0 2.2.2(3) के प्रोविजो (iii) का उल्लंघन है, परन्तु इस प्रकार का अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध होना प्रतीत नहीं होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को मिसब्राण्डेड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ** Soyabean Oil, Salad Oil (Sailor's) का विक्रय/निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्तगण पर संयुक्त रूप से 9,000/-रू0 (अक्षरे नौ हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति [illegible] जावें।

निर्णय आज दिनांक **18.11.2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2025.12.11 10:43:10 IST
Reason: SelfAttested

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर